

झारखण्ड सरकार,  
जल संसाधन विभाग।

अधिसूचना

अधिसूचना सं.:— 05/विविध-14-44/2014

राँची, दिनांक:—

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) में वर्णित प्रावधान के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची (मुख्यालय) के कृत्यों से संबंधित सूचना आवेदनों/अपीलों के संदर्भ में सम्यक कार्रवाई हेतु श्री रमेश कुमार उरॉव, उप सचिव, जल संसाधन विभाग को एतद् द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अभिहित किया जाता है।

- 2 इस संदर्भ में पूर्व के निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है।
- 3 उक्त पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची का आदेश प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/—

(रविशंकर)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक

राँची,दिनांक

प्रतिलिपि— प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची /अभियंता प्रमुख-1, एवं 2, जल संसाधन विभाग राँची/सभी संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर/अपर निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, सुवर्णरेखा परियोजना आदित्यपुर जमशेदपुर/उप समाहर्ता, राजस्व प्रमण्डल राँची /उप सचिव (प्र०)/उप सचिव (अभि०)/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/सभी विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी/सभी पुनर्वास पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी सहायक जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

(रविशंकर)

सरकार के संयुक्त सचिव

राँची,दिनांक

ज्ञापांक

प्रतिलिपि—श्री रमेश कुमार उरॉव, उप सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

(रविशंकर)

सरकार के संयुक्त सचिव

राँची,दिनांक 15-06-16

ज्ञापांक

1961 ✓  
प्रतिलिपि—वेब इंफॉर्मेशन मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करत्रे हेतु सूचनार्थ।

15-06-16  
(रविशंकर)

सरकार के संयुक्त सचिव